## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 96 / 2024
अनवान : –

1. शिवभगवान पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– सायल

**बनाम्**

1. ज्ञानीराम पुत्र रामलाल जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत टोपरिया तहसील नोहर।
3. अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग खण्ड रावतसर तहसील रावतसर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री विजयसिह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

**निर्णय** दिनांकः 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 73 / 66 की कुल 7.6159 हैक्ट भूमि में 1 / 2 हिस्सा भूमि सायल व तरतीबी प्रतिवादी स0 4 के नाम बहिब दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 18 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 97 / 2 की कुल 0.8857 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल की खातेदारी की भूमि के चिपत हुए गैरसायल स0 1 की कृषि भूमि है तथा गैरसायल स0 1 जबरिया वादी के प0न0 239 / 397(24) के किला न0 10, 11 20, 21 में खाला बनवाना चाहता है जबकि गैरसायल स0 1 की भूमि प0न0 238 / 397(25) के किला न0 6, 15, 16, 25 के पूर्व दिशा में खाला मंजूर है तथा मनरेगा के तहत कच्चा खाला को पक्का किया जाना है इसलिए बिना पैमाईश करवाये सायल की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का खाला का निर्माण नही किया जावे।

गैरसायल संख्या 1 बिना पैमाईश करवाये वादी की भूमि के प0न0 239 / 397(24) के किला न0 10, 11, 20, 21 में मनरेगा के तहत पक्का खाला बनवाने पर आमाद है यदि गैरसायल स0 1 अपने मकसद में कामयाब [illegible] अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में सम्भव नही [illegible] को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे की रोही मौजा 18 [illegible] नोहर के खाता स[illegible]/66 की कुल 7.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6159 हैक्ट भूमि में बिना पैमाईश करवाये किसी प्रकार के खाता का निर्माण नही करे एवं रिकाड्र की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 18 आरडबल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 73/66 की कुल 7.6159 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की पैमाईश करवायी जाकर ही खाला का निर्माण करवावे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की मंनरेगा के तहत कच्चा खाला को पक्का नही किया जा रहा है बल्कि पहले से निर्मित खाले जो की जर्जर हो चुका है की मरम्मत कि जा रही है केवल सायल के खेत में 50 फुट बनना शेष है अगर खाला नही बनता है किसान सिंचाई सुविधा से वंचित रह जायेगे। सरपंच ग्राम पंचायत थालड़का एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन रावतसर अनापति प्रमाण पत्र कुछ शर्तो के साथ जारी किया गया है गैरसायलान द्वारा शर्तो को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्मित खाले की मरम्मत की जा रही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अतः खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हको का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हको का निर्धारण मूल दावे में तय होना है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त खाला पूर्व में मंजूद शुदा जगह पर न बनाया जाकर अन्य जगह पर बनया जा रहा है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि पूर्व में निर्मित खाला की मरम्मत की जा रही है न की अन्य जगह पर खाला बनाया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत एवं अधिशाषी अभियंता जल [illegible] जारी अनापति प्रमाण पत्र की चित्रप्रति पेश की गई है जिन में पूर्व में निर्मित [illegible] है। उक्त विवेचनस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के [illegible] की प्रार्थी जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 15.05.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/06/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:57:40 IST
Reason: SelfAttested